

**अत्यावश्यक**  
**पंचायत उप-निर्वाचन, 2023**



**राज्य निर्वाचन आयोग,**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

पत्र संख्या - पं.नि. 30-37/2022 - 1788

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।  
(पटना एवं रोहतास जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - 20.5.23

**विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 - व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सुरक्षा बलों का आकलन एवं 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) प्रेषित करने के संबंध में।**

**प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1430 दिनांक 05.05.2023**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2023 को स्वतंत्र, स्वच्छ, पारदर्शी, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारित करने एवं पंचायत उप निर्वाचन से संबंधित 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) **संलग्न प्रपत्र में दिनांक 18.05.2023 तक** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परन्तु आपके जिले से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से प्रासंगिक पत्र के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन, 2023 को स्वतंत्र, स्वच्छ, पारदर्शी, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संधारित की जाय एवं 'बल प्रतिनियुक्त योजना' (Force Deployment Plan) **संलग्न प्रपत्र में 24 घंटे के अन्दर** प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।


विश्वासभाजन,

  
सचिव।

ज्ञापांक -प.नि. 30-15/2023 - 1788

पटना, दिनांक - 20.5.23


प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

  
20.5.23


ज्ञापांक - पं.नि.30-15/2023 - 1788 पटना, दिनांक - 20.5.23

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-15/2023 - 1788 पटना, दिनांक - 20.5.23

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।